

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 4880/2025

मोहम्मद शहाबुद्दीनयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्यप्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मोहम्मद अब्दुल्ला तेहामी, सैयद मोहम्मद नवाज

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता उप संचालक चकबंदी (संक्षेप में 'डी.डी.सी.')
- द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2025 से व्यथित है, जिसके द्वारा बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी (संक्षेप में 'एस.ओ.सी.')
- को गुण-दोष के आधार पर अपील तय करने से पहले, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विलंब क्षमा आवेदन को पहले तय करने का निर्देश दिया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि एस.ओ.सी. ने आदेश दिनांक 10.01.2025 के माध्यम से विलंब क्षमा आवेदन के साथ-साथ अपील के गुण-दोष को एक साथ तय करने का निर्देश दिया था। इससे व्यथित होकर, निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 से 6 ने एक निगरानी प्रस्तुत की। डी.डी.सी. ने आदेश दिनांक 12.06.2025 के माध्यम से एस.ओ.सी. द्वारा पारित आदेश को संशोधित करते हुए निगरानी को आंशिक रूप से स्वीकार किया और यह धारित किया कि मामले के गुण-दोष पर निर्णय लेने से पहले विलंब क्षमा आवेदन पर पहले सुनवाई की जानी चाहिए; तदनुसार, पक्षों को 26.06.2025 को एस.ओ.सी. के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
3. अब यह 'रेस इंटेग्रा' (अनिर्णित) नहीं रह गया है कि मामले के गुण-दोष पर विचार करने से पहले विलंब क्षमा आवेदन को पहले तय किया जाना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा राम प्रकाश बनाम उप संचालक चकबंदी 2022 (155) आरडी 309 के मामले में तय किए गए अनुपात के अनुसार है। राम प्रकाश (उपर्युक्त) के प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 19, 20 और 21 नीचे उद्धृत किए गए हैं:-
"19. हम इस मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं कि विलंब की माफी मांगने वाले आवेदन पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश एक अंतरिम आदेश है या अंतिम, क्योंकि इसे खंडपीठ द्वारा विचार के लिए संदर्भित नहीं किया गया है। विलंब की माफी के आवेदन के साथ दायर अपील में विभिन्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहली स्थिति यह हो सकती है कि विलंब की माफी मांगने वाला आवेदन खारिज कर दिया जाए। इसके परिणामस्वरूप, अपील भी विफल हो जाएगी। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि विलंब की माफी मांगने वाला आवेदन स्वीकार कर लिया जाए और उसके बाद अपील या तो स्वीकार की जा सकती है या खारिज की जा सकती है।

4. यदि कोई कानून अपील दायर करने के लिए एक निश्चित अवधि प्रदान करता है, तो समय सीमा के बाद दायर अपील पर निश्चित रूप से विचार नहीं किया जाएगा। यदि 1963 अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं और पक्ष अपील दायर करने में हुए विलंब की माफी मांगने का हकदार है, तो उन आधारों को निर्दिष्ट करते हुए एक आवेदन दायर करना होगा जिन पर अपील दायर करने में हुए विलंब को माफ करने की मांग की गई है। आवेदन स्वीकार होने के बाद ही अपील पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है और सुनवाई की जा सकती है। उससे पहले अपील को गुण-दोष के आधार पर नहीं लिया जा सकता और उस पर विचार नहीं किया जा सकता।
5. जहाँ तक विलंब क्षमा आवेदन और अपील की एक साथ सुनवाई के मुद्दे का संबंध है, हमारे विचार में, सबसे पहले आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए। उसके बाद ही अपील पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है, लेकिन कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विलंब क्षमा आवेदन की स्वीकृति के बाद अनिवार्य रूप से गुण-दोष पर अपील की सुनवाई को स्थगित करने की आवश्यकता रखता हो। दोनों को एक ही दिन लिया जा सकता है। हालाँकि, अपील पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई तभी की जानी चाहिए जब विलंब क्षमा आवेदन स्वीकार कर लिया गया हो।"
6. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका को स्वीकार करने या डी.डी.सी. द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायसंगत आधार नहीं पाता है। आक्षेपित आदेश में ऐसी कोई अवैधता, अनियमितता, विकृति, कमी या अस्पष्टता नहीं है जिसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह प्रदर्शित करे कि वर्तमान याचिकाकर्ता के साथ कैसे पक्षपात हुआ है, या यदि आक्षेपित आदेश के कारण उसके साथ न्याय की विफलता होने की कोई संभावना है। हालाँकि, एस.ओ.सी. को निर्देश दिया जाता है कि वे राम प्रकाश (उपर्युक्त) के मामले में पारित आदेश के पैराग्राफ संख्या 21 में इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।
7. परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिका, भ्रामक और गुणहीन होने के कारण, बिना किसी लागत के आदेश के खारिज की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026

वी.के.जी.